

तत्काल रिलीज़ के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियमन 2018 की समीक्षा पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियों/प्रतिटिप्पणियों प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने "टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियमन 2018 की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों द्वारा टिप्पणियों की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 और प्रतिटिप्पणियों की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2024 है।

हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने कहा कि यह पत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है और इसे लेकर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है, इस पर चर्चा और प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिए, परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियों की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2024 और प्रतिटिप्पणियों की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

टिप्पणियाँ और प्रतिटिप्पणियाँ TRAI वेबसाइट पर निर्दिष्ट टेम्पलेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं, साथ ही इसकी एक प्रति [advqos@traai.gov.in](mailto:advqos@traai.gov.in) पर भी भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (QoS-II) से [advqos@traai.gov.in](mailto:advqos@traai.gov.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

इस संदर्भ में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

(अतुल कुमार चौधरी)  
सचिव, TRAI